न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 36 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 08.07.2020

1–गलोल पत्नि श्योजी जाति माली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2–श्योजी पुत्र स्वरूपा जाति माली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–कपूरी पत्नि कजोड जाति मीना निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2–कजोड पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 30.12.2019 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी कपूरी बनाम गलोल

उपस्थिति : (1) श्री छोटेलाल सोंलकी,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री दौलतराम चौधरी,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय **दिनांक 03.09.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 30.12.2019 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 518 मे से 160 वर्गमीटर वाके ग्राम सुरेली पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को कोई साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है और ना ही अपीलांट्स को उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व सुना गया है। अपीलांट्स की उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार से प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी नोटिस की कोई तामिल नही करवायी गई है। अपीलांट्स पर दिनांक 20.08.2018 नोटिस तलबी पर नोटिस लेने से मना करने के कारण दिनांक 21.08.2018 को कई गवाहो के सामने चस्पांदगी से तामिल होना व दिनांक 28.08.2018 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित नोटिस लेने से इन्कार करने के कारण वापस प्राप्त होकर शामिल फाईल होने एंव दिनांक

जिला कलेक्टर
टोंक

08.01.2019 को तीसरी बार पटवारी हल्का सुरेली के माध्यम से नोटिस जारी करने पर दिनांक 11.01.2019 को लेने से मना करने पर 2 गवाहान के समक्ष चस्पादंगी से तामिल करवाने के तथ्य गलत है एंव तामिल प्रकिया अनुसार ना होकर रेस्पोडेण्ट सं.–2 के प्रभाव से करवाई गई कार्यवाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की तामिल हुए बिना ही उनके विरूद्ध निर्णय पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना की है।विवादित भूमि के सम्बन्ध मे रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण सं. 04/2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राज.टि.एक्ट के तहत बउनवानी कपूरी देवी बनाम श्योजी आदि प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2015 को किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्जूडीकेटा के प्रावधानो की पालना नही करते हुए पूर्व में पारित निर्णय को अन्देखा करते हुए उन्ही पक्षकारो व उसी आराजीयात के सम्बन्ध मे पुनः निर्णय पारित नही किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट्स गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है, उनकी रोजी–रोटी का एक मात्र जरिया आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 0.50 है. है,जिसमे वह सब्जी आदि पैदा कर अपने एंव अपने परिवार का जीवन–यापन करते है,जबकि रेस्पोडेण्ट्स काफी सम्पन्न एंव पढे, लिखे प्रभावशाली परिवार के सदस्य है,जिसमे रेस्पोडेण्ट सं. 2 नायब तहसीलदार सपोटरा जिला सवाईमाधोपुर पद पर सेवानिवृत्त होकर वर्तमान मे डीडाराईटर का कार्य करता है एंव रेस्पोडेण्ट सं. 2 का सगा भाई हंसराज मीणा उपखण्ड अधिकारी बामनवास जिला सवाईमाधोपुर से सेवानिवृत्त हुआ है एंव तीसरा सगा भाई बद्रीलाल मीणा आईएएस है,जो रेवन्यू बोर्ड अजमेर से सेवानिवृत्त हुआ है। यह परिवार काफी सम्पन्न, गिरोहबंद एंव प्रभाव शाली व्यक्ति है एंव अपीलांट्स को ऐन–केन–प्रकरेण जरेबार व परेशान कर उनकी जमीन को हडपना चाहते है एंव आये दिन मनगढत व गलत कार्यवाहियां कर परेशान करते है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 कपूरी का पति कजोड हमेशा यही कहता है कि जब तक यह जमीन उसको नही बेचेगे,तब तक इसी तरह परेशान करता रहूंगा। रेस्पोडेण्ट सं.1 की भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 1.20 है. गुब्बारे की शक्ल में है, लेकिन मौके पर चारो ओर से जमीन दबाकर चोकोर बना रखी है एंव रकबा उनके कब्जे में 1.75 है. है। इससे पूर्व भी इन्होने अपीलांट के विरूद्ध धारा 183 बी की कार्यवाही कर दाब घोस देकर 3000/–रूपये मे राजीनामा कर लिया था एंव राजीनामे के अनुसार जहाँ अपीलांट्स के मकान आदि बने हुए है, ट्रेस मे तरमीम हो चुकी है, तरमीम की ट्रेस सलंग्न आदि है। रेस्पोडेण्ट्स ने फिर उसी भूमि बाबत पुनः 183 बी की कार्यवाही कर अपने मिलने वाले व रिश्तेदार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार उनियारा से मनगढत तथ्य अपने हिसाब से लिखवाकर गलत रूप से अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित करवाया है।अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 0.50 है. काफी ऊचाई पर है,जबकि रेस्पोडेण्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 1.20 है. काफी निची है एव रेस्पोडेण्ट्स की भूमि के अडवा अपीलांट्स का काफी वर्षो पूर्व से पुख्ता निर्माण हो रखा है। अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश के गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिससे रेस्पोडेण्ट्स रंजिश रखते है एंव वे काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपीलांट्स को परेशान करने की नियत से मनगंढत कार्यवाही कर अपने हिसाब से अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित करवा कर जरेबार व परेशान करते है। अपीलांट्स ने कोई कब्जा रेस्पोडेण्ट्स की भूमि पर नही किया है, ना ही अपीलांट्स का रेस्पोडेण्ट्स की भूमि से कोई सम्बन्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के

जिला कलेक्टर

कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर कच्चा,पक्का निर्माण,पत्थर के चीरे गाडकर व लोहे के तार व जाली लगाकर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2071–73 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा मे आराजी खसरा 518 रकबा 1.2000 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल करने का आदेश पारित किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। तामिल प्रकिया अनुसार ना होकर रेस्पोडेण्ट सं.–2 के प्रभाव से करवाई गई कार्यवाही है। विवादित भूमि के सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 04/2015 अन्तर्गत धारा 183 बी बउनवानी कपूरी देवी बनाम श्योजी आदि दर्ज कर दिनांक 03.11.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2015 को अन्देखा करते हुए उन्ही पक्षकारो व उसी आराजीयात के सम्बन्ध मे पुनः अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो Res judicata की श्रेणी मे आता है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.02.2019 मे क्रमांक 71–73 दिनांक 23.01.2019 को नोटिस जारी कर पटवारी हल्का के माध्यम से अप्रार्थी (अपीलांट्स)को तामिल हेतु भेजे गये। पटवारी हल्का द्वारा समझाईश करने के उपरान्त भी अप्रार्थी ने तामिल प्रति लेने से इन्कार कर दिया,ऐसी स्थित मे पटवारी हल्का द्वारा भी गवाहो के सामने नोटिस की एक प्रति अप्रार्थी के आबाद मकान पर चस्पा कर तामिल प्रति प्रस्तुत की है का उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी (अपीलांट्स)को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे जेरकार है कि जानकारी प्राप्त हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न निर्णय दिनांक 03.11.2015 मे अपीलांट्स ने रेस्पो. की भूमि खसरा नम्बर 518 मे से 0.02 है.(200 वर्गमीटर) पर पाबंद करने के बावजूद जबरन निर्माण किया है तथा लोहे के तार व पत्थर के तीरे गाडकर व मिट्टी ढकेलकर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट ने रेस्पो. की भूमि पर 160 वर्गमीटर मे कच्चा,पक्का निर्माण,पत्थर के चीरे गाडकर व लोहे के तार व जाली लगाकर कब्जा/अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा अलग–अलग प्रकार/अलग–अलग समय मे रेस्पो. की भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण किये जाने से अपीलाधीन निर्णय Res judicata की श्रेणी मे नही आता है तथा पटवारी हल्का सुरेली व भू0अ0नि0 बनेठा की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर अपीलांट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करना सिद्व है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 160 वर्गमीटर वाके ग्राम सुरेली पर कच्चा,पक्का निर्माण,पत्थर के चीरे गाडकर व लोहे के तार व जाली लगाकर कब्जा/अतिक्रमण करना पटवारी हल्का/भू0अ0नि0 कि रिपोर्ट से

जिला कलेक्टर

जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स सामान्य एंव रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 30.12.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक